कन्हैयालाल बनाम डालचन्द्र व अन्य
प्रकरण संख्याः— 192/2023(प्रा0पत्र)
निर्णय दिनांकः—25/11/2024

निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द(राज0)

प्रकरण सख्ंया —192/2023 प्रार्थनापत्र
दायर दिनांक — 21/12/2023
निर्णय दिनांक — 25/11/2024

अनवान

1. कन्हैयालाल पिता मोहनलाल जाति सेवक निवासी ताल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रार्थी

बनाम

1. डालचन्द्र पिता तुलसीराम जाति रेगर निवासी सुरतपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. प्रकाशचन्द्र पिता रतनलाल जाति महाजन निवासी ताल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम

: : निर्णय : :

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य व खातेदारी, कब्जे की भूमि राजस्व ग्राम ताल पटवार मण्डल ताल तहसील देवगढ जिला राजसमन्द में चालू जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2076 खाता सख्या 99 आराजी संख्या 855, 856, 857 कुल किता 03 कुल रकबा 0.7400 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित कुलिया आराजीयात उक्त भूमि शामलाती है एवं प्रार्थी ही उक्त नम्बर की देख—भाल कर रहा है। पर निर्बाध रूप से काश्त वगैरहा करता चला आ रहा, किन्तु प्रार्थी की उक्त भूमि के चारो ओर पत्थर की पक्की

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

बाउन्ड्री/ सीमा चिन्ह नही होने से विपक्षीगण जो कि उक्त वर्णित भूमि की सीमा से मिलते हुए पडौसी है एंव हर समय फसल की कटाई एंव बुवाई के विवाद सीमा बाबत् बना रहता है तथा अनावश्यक प्रार्थी को मुकदमे बाजी के लिये विवश होना पडता है। मौके पर अशांती कायम रहती है प्रार्थी शांति पूर्वक काश्त ,उपयोग व उपभोग भूमि का नही कर पा रहा है। प्रार्थी की उक्त वर्णित आराजीयात की सीमा से मिलते हुए विपक्षीगण की भूमि की सीमा है जिससे विपक्षीगण प्रार्थी की उक्त भूमि के पडौसी है किन्तु सीमा बाबत् विवाद विपक्षीगण से पैदा होता है इसलिये आराजीयात के पडौसी होने से आवश्यक पक्षकार के रूप ये विपक्षी बनाया गया है। प्रार्थी खातेदारी की उक्त वर्णित आराजीयात की बाद नपती पत्थरगढी हो जाती है तो प्रार्थी को फसलो की बुवाई, कटाई के समय विपक्षी आराजीयात बाबत् जो हर वक्त विवाद पैदा होता है वह हमेशा, हमेशा के लिये समाप्त हो जावेगा तथा प्रार्थी शान्ति पूर्वक काश्त वगैरहा व भूमि का उपयोग उपभोग कर सकेगा। इसलीये उक्त प्रार्थना पत्र बाबत् कराये जाने पत्थरगढी पेश किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि के उक्त प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित ग्राम ताल पटवार मण्डल ताल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द की खाता नम्बर खाता सख्या 99 आराजी संख्या 855, 856, 857 कुल किता 03 कुल रकबा 0.7400 हैक्टेयर भूमि की बाद नपती पत्थरगढी कराये जाने का आदेश प्रदान करावे ।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्य 02 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के निर्देश दिये गए। अप्रार्थी संख्या 01 के

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ,जिला-राजसमन्द

अधिवक्ता ने पत्थरगढ़ी ने किये जाने पर सहमति प्रदान की तथा मौके पर स्थित रास्ते को पत्थरगढ़ी के दौरान खुर्द–बुर्द नहीं किया जावें।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 व 128 निम्न प्रकार है :–

Sec. 111. Decision of disputes as to boundaries (1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession. (2) if in the course of an inquiry into a dispute under this section, the land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or if it is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.

Sec. 128. Boundary disputes.- All disputed concerning bound-aries shall be decided by the land Records Officer in the manner laid down in section 111.

उभय पर अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी भूमि को सीमाज्ञान कराये जाने का अधिकार निहित कर रखा है।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ (रा.) जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

कन्हैयालाल बनाम डालचन्द्र व अन्य
प्रकरण संख्याः— 192/2023(प्रा0पत्र)
निर्णय दिनांकः—25/11/2024

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम ताल पटवार मण्डल ताल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द की खाता नम्बर खाता सख्या 99 आराजी संख्या 855, 856, 857 कुल किता 03 कुल रकबा 0.7400 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु तहसीलदार देवगढ़ को आदेशित किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों को सूचना पश्चात् उपस्थिति में सीमाज्ञान करते हुए प्रमाणिक राजस्व नक्शें के आधार पर सहमति से पत्थरगढ़ी की नियमानुसार कार्यवाही की जावें एंव पत्थरगढ़ी के दौरान मौके पर स्थित रास्ते को खुर्द—बुर्द नहीं किया जावें। यदि कब्जे/रकबा कम/ज्यादा संबंधी विवाद अथवा फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी की कार्यवाही नहीं की जावें। **पत्थरगढ़ी आदेश को कब्जा सूपूर्दगी आदेश नहीं समझा जावें।** पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25/11/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)